Print Date:-02/Jun/2025 12:20 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 02-06-2025 12:21:35

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

SSM Code : (9556)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S25060130001

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 02-JUN-2025

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**01**	केंद्र सहायतित योजना
10	अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (90%के0पो0) फेज-2		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	1	1	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	71-केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	0	55555556	0	55555556
	योग	0	55555556	0	55555556

Total Current Allotment To SSM In Above Schemes - Rs. 5,55,55,556 (Rupees Five Crores Fifty Five Lacs Fifty Five Thousand Five Hundred Fifty Six Only)

Batch ID : SSM:S054:S054:2506:0001

Approval Status : e-Sign letter

संख्याः 301140/IV(2)–शविवि–2025–47(साा)21 (49345)

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक– 30 **मई, 2025**

विषयः केन्द्रपोषित योजना अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अन्तर्गत आवंटित Mother Sanction के राज्यांश सहित व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–469/830/AMRUT 2.0 SBM 2.0/2020-21, दिनांक 09.05.2025 तथा अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः K-16015/02/2023-AMRUT, दिनांक 08.05.2025 के क्रम में कार्यवृत्त संख्याः 299421, दिनांकः 21.05.2025 में लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रपोषित योजना अमृत 2.0 के अन्तर्गत एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के तहत राज्य हेतु Mother Sanction के रूप में आवंटित धनराशि कुल रू0 50.00 करोड़ के उपयोग के साथ–साथ देय 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि **रू0 5.5555556 करोड़ (रूपये पाँच करोड़ पचपन लाख पचपन हजार पाँच सौ छप्पन मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यापाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) नवीन व्यवस्थानुसार कोषागार से धनराशि एस0एन0ए0 अकाउंट में स्थानान्तरित नहीं की जानी है, अपितु भुगतान हेतु प्रत्येक अवसर पर कोषागार में देयक प्रस्तुत किया जाना है।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग अमृत 2.0 के ट्रान्च–1 में स्वीकृत ऐसी योजनाएं, जिनमें कार्य की प्रगति तेज है तथा धनराशि के शीघ्रतिशीघ्र उपयोगित होने की संभावना है, का आंकलन कर अपने स्तर से उक्त प्रगतिशील योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी, जिससे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग सुनिश्चित कर भारत सरकार से अग्रेत्तर किश्त की धनराशि प्राप्त की जा सके।

(3) उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही मदर सैंक्शन की धनराशि व राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष वॉटर बॉडीज घटक में अनुमोदित हो चुकी योजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत हो जाने के उपरान्त निदेशालय स्तर से मदर सैंक्शन की धनराशि सम्बन्धित निकाय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निदेशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(6) योजनाओं/कार्यों को भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्रतिशीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तद्नुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) प्रश्नगत योजना हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु समय–समय पर शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक, '4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–10–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (90% के0पो0) फेज–2 के अधीन मानक मद 71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0: S2506013000।

भवदीय,

Digitally signed by Sunil Singh
Date: 31-03-2025 16:53:43

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सचिव, वित्त/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, **द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।**

7– उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
8– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 30-05-2025
14:51:01

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।